2 दिसंबर 1960 को बिहार के पटना में जन्मे नड्डा स्कूली दिनों में दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में बिहार का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

विवादों से दूर संगठनकर्ता के रूप में रही नड्डा की पहचान

मिली कमान ▸ 15 साल तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहकर छात्र राजनीति से जुड़े रहे

जेपी आंदोलन से सीखा राजनीति का ककहरा, 2010 में बने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पटना में जन्मे और जेपी आंदोलन से राजनीति का ककहरा सीखने वाले जेपी नड्डा ने भाजपा अध्यक्ष बनने से पहले लंबा राजनीतिक सफर तय किया। मृदुभाषी नड्डा 1990 में भाजपा में शामिल होने के पहले 15 साल तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहकर छात्र राजनीति से जुड़े रहे। पार्टी की गुटबाजी से दूर एक संगठनकर्ता के रूप में नड्डा के अनुभवों को देखते हुए 2010 में उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई।

एक मेहनतकश संगठनकर्ता होने के साथ-साथ जेपी नड्डा की गिनती भाजपा के भरोसेमंद नेताओं में भी होती है, जो अपनी जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत के साथ निभाते हैं। उनकी विश्वसनीयता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 2014 में केंद्र में सरकार गठन के बाद एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में नड्डा को स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी, वहीं दूसरी तरफ भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने भी उन्हें पार्टी के संसदीय दल के सदस्य सचिव के पद पर बरकरार रखा।

नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने पर जेपी नड्डा को बधाई देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह (दाएं) और बाएं से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व वयोवद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी भी मौजूद थे। ध्रुव कुमार

कैबिनेट मंत्री रहते हुए निभाई दोहरी जिम्मेदारी : सामान्य तौर पर संसदीय दल के सदस्य सचिव की जिम्मेदारी पार्टी के किसी महासचिव को दी जाती है, लेकिन कैबिनेट मंत्री रहते हुए भी नड्डा इस पद पर बने रहे। यही नहीं, 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तरप्रदेश की जिम्मेदारी संभालने और ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले अमित शाह ने अध्यक्ष के रूप में 2019 में इसके लिए जेपी नड्डा को चुना। यही कारण है कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से ही साफ हो गया था कि अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हीं को सौंपी जाएगी।

छात्र राजनीति से शुरू किया सियासी सफरनामा : जेपी नड्डा ने भले ही अपनी राजनीति की शुरुआत पटना से की हो, लेकिन राजनीति की कर्मभूमि अपने पैतृक राज्य हिमाचल प्रदेश को ही बनाया। पटना कालेज से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद वापस हिमाचल प्रदेश आए और हिमाचल विश्वविद्यालय में एलएलबी की पढ़ाई शुरू की और फिर 1983 में छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। विद्यार्थी परिषद के संगठनमंत्री के रूप में काम करते हुए 1985 से 1989 के दौरान दिल्ली में छात्र आंदोलनों से जुड़े रहे। बाद में उन्होंने राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी भी निभाई।

युवाओं को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई : 30 साल की उम्र में 1990 में भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जेपी नड्डा को हिमाचल प्रदेश में संगठन मंत्री बनाया गया और अगले साल भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए। भाजपा में आते ही नड्डा को राष्ट्रीय स्तर पर अहम जिम्मेदारियां संभालने का मौका मिला। तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा से युवाओं को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई।

1993 में चुनावी राजनीति में पदार्पण : चुनावी राजनीति में जेपी नड्डा का पदार्पण 1993 में हुआ और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से विधायक चुने गए। विधायक रहते हुए नड्डा नेता प्रतिपक्ष से लेकर सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण व संसदीय कार्य मंत्रालय का कार्यभार संभाला। पहली बार दिल्ली आकर भाजपा अध्यक्ष की कमान संभालने वाले नितिन गडकरी ने जेपी नड्डा को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी तो हिमाचल प्रदेश के मंत्री पद से त्यागपत्र देकर राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण किया। इसके बाद महासचिव के रूप में उन्होंने कई राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया।

शाह को उम्मीद, अधूरे छूटे काम नड्डा के कार्यकाल में होंगे पूरे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ वंशवाद, जातिवाद और परिवारवाद पर चलने वाली पार्टियों पर किया कटाक्ष

▸ पार्टी की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही भविष्य की चुनौतियां भी सामने रखीं

जेपी नड्डा को भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंपते हुए निवर्तमान अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी की उपलब्धियां और खूबियां गिनाते हुए आगे की चुनौतियों की रूपरेखा भी सामने रखी।

शाह ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जरूर बन गई और असंभव माने जाने वाले राज्यों में चुनावी परचम लहराने में कामयाब रही, लेकिन अभी भी देश के बड़े हिस्से में उसकी पहुंच नहीं बन पाई है। इसके साथ ही अभी भी संगठन को बूथ तक पहुंचाने का काम बाकी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नड्डा के कार्यकाल में पार्टी इन अधूरे कामों को पूरा करने में सफल होगी।

जेपी नड्डा के एक छोटे कार्यकर्ता से पार्टी अध्यक्ष तक के सफर को याद करते हुए शाह ने कांग्रेस समेत अन्य दलों पर कटाक्ष भी किया। उनके अनुसार परिवारवाद, वंशवाद और जातिवाद में फंसी दूसरी पार्टियों के विपरीत भाजपा ने एक कार्यकर्ता को निर्विरोध अध्यक्ष चुनकर अपनी पुरानी परंपरा को कायम रखा है। पिछले साढ़े पांच साल के कार्यकाल को याद करते हुए शाह ने बताया कि इस दौरान न सिर्फ भाजपा का संगठनात्मक ढांचा पूरे देश में फैला, बल्कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने भी देश के 60 करोड़ गरीबों के बेहतर जीवन के लिए योजनाओं को लागू कर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को जमीन पर उतारने का काम किया।

उन्होंने कहा कि वैसे तो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी। पूरे देश में इसका संगठनात्मक विकास भी हुआ। इसके अलावा देश के कई राज्यों में सफलता भी प्राप्त हुई और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर एक बार पूर्ण बहुमत के साथ सफलता हासिल की। उन्होंने इस मौके पर उनकी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों और उपलब्धियों के बारे में भी बताया।

अमित शाह ने बताया कि किस तरह मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370, अयोध्या, तत्काल तीन तलाक से लेकर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) तक पार्टी के वादे को पूरा करने का काम किया है।

नड्डा ने पार्टी के अधूरे कामों को पूरा करने का दिया भरोसा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ विश्वास जताने के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जताया आभार

शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए भाजपा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के छूटे हुए लक्ष्यों को हासिल करने का भरोसा दिया। नड्डा ने कहा कि पार्टी को उत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

नड्डा ने कहा कि जिस पार्टी की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, वह दूसरी पार्टियों से सिर्फ नीतियों में अलग नहीं है। सरकार की उपलब्धियों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि उसके नतीजे भी अलग हैं। यह भाजपा में ही संभव है कि बिना राजनीतिक परिवार की पृष्ठभूमि के हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव से आने वाले साधारण से कार्यकर्ता को पार्टी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने मंच पर बैठे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि मंच पर बैठे तमाम नेता, जो देश का नेतृत्व भी कर रहे हैं, किसी का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है। सभी अपने कर्म और अपनी मेहनत से पार्टी की रीति-नीति को बढ़ाते हुए आज देश को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं।

पार्टी को अभी और आगे बढ़ने की अमित शाह की चुनौती स्वीकार करते हुए जेपी नड्डा ने कहा, 'जो कुछ भी ताकत, सामर्थ्य मेरे में होगा, दिन-रात एक करके मेहनत की पराकाष्ठा करते हुए, आप सब लोगों के साथ मिलकर काम करते हुए भाजपा को उत्कर्ष पर ले जाएंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।'

लंबे समय के लिए आई है भाजपा : मोदी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ विपक्ष पर प्रहार, जिन्हें जनता ने नकार दिया वे फैला रहे झूठ और भ्रम

भाजपा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जेपी नड्डा को मिली नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आगाह भी किया कि अब चुनौतियां ज्यादा हैं इसलिए और सतर्क व सक्रिय रहने की जरूरत है। परोक्ष रूप से विपक्षी दलों को निशाने पर लेते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनावी राजनीति में जिनको जनता ने नकार दिया है वे भ्रम और झूठ फैला रहे हैं, उनका इकोसिस्टम इसे हवा दे रहा है। ऐसे समय में भाजपा का जनसंवाद और सटीक होना चाहिए। जनता की जो अपेक्षाएं हैं उसे पूरा करने का और प्रयास होना चाहिए। भाजपा यहां कम समय के लिए नहीं आई है बल्कि लंबे समय तक देश की सेवा करेगी।

जेपी नड्डा के अध्यक्ष चुने जाने के बाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, 'जब हम विपक्ष में थे उससे ज्यादा चुनौतियों का सामना अब करना पड़ेगा। चुनावी राजनीति को ज्यादा बड़ी चुनौती नहीं मानता हूं। लेकिन जिनकी बात अब देश स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जिनके पास बहुत कम शस्त्र हैं, वे झूठ फैला रहे हैं। हमें जनता को इससे सतर्क करना होगा और किसी माध्यम के जरिये नहीं बल्कि जनसंवाद के जरिये।' उन्होंने कहा कि सरकार में रहते हुए किसी भी पार्टी के लिए संगठन का विस्तार करना आसान नहीं होता। लेकिन पिछले वर्षों में अमित भाई ने इसे बखूबी निभाया। पार्टी को अलग-अलग तरह से सफलता के सोपान पर चढ़ाया। उन्होंने आशा जताई कि नड्डा भी यशस्वी अध्यक्ष साबित होंगे।

नड्डा से व्यक्तिगत संबंधों को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी एक स्कूटर पर बैठकर हम दोनों ने काम किया है। लंबे अरसे तक हिमाचल में काम करने का मौका मिला और वहां साथी के रूप में नड्डा का साथ मिला। उनकी खूबी है वह सर्वोत्तम प्रयास करते हैं। उनके नेतृत्व में पार्टी मूलभूत आदर्शों को लेकर भी आगे बढ़ेगी और विस्तार भी होगा।

नड्डा ने मंत्री पद छोड़ चुना था संगठन, अब संभाली पार्टी की कमान

जागरण संवाददाता, शिमला : भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दस साल पहले हिमाचल सरकार में कैबिनेट मंत्री पद का मोह छोड़कर संगठन में जाने का फैसला लिया था। अब उन्होंने संगठन की कमान संभाल ली है। वर्ष 2009 में प्रदेश में भाजपा सरकार ने नड्डा को वन विभाग का जिम्मा दिया था। वन मंत्री होने के बावजूद वह अपनों से ही सियासी जंग में उलझे हुए थे। राजनीति में सरकार में रहने को ही सबसे बड़ी सफलता माना जाता है। इसके बावजूद जेपी नड्डा ने संगठन को चुना था। तब कुछ सियासतदारों ने कहा था कि हिमाचल की राजनीति में नड्डा का दखल खत्म हो गया है। वहीं, संगठन में बेहतर पकड़ के कारण ही 2017 के विधानसभा चुनाव में नड्डा काफी सक्रिय रहे। प्रदेश में टिकट वितरण से लेकर मुख्यमंत्री पद पर किसकी तैनाती होनी है, इसमें भी उनकी अहम भूमिका रही। भाजपा ही नहीं बल्कि किसी भी अन्य राजनीतिक दल ने छोटे व पहाड़ी राज्य हिमाचल को इतना सम्मान पहले कभी नहीं दिया है। हिमाचल से किसी नेता को पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद मिला है।

उत्तर प्रदेश प्रभारी रहने के बाद मिला ओहदा : 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रभारी की कमान अमित शाह संभाल रहे थे। वर्ष 2019 में उसकी कमान जेपी नड्डा को दी गई थी। नड्डा ने बतौर प्रभारी उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन करते हुए पार्टी को बड़ी जीत दिलाई थी। इससे उनका कद पार्टी के भीतर बढ़ा था। वर्ष 2014 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के प्रभारी अमित शाह को पार्टी की कमान सौंपी गई थी। 2020 में पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे जेपी नड्डा को पार्टी की कमान सौंपी है।

नड्डा से है बड़ी अपेक्षा

प्रथम पृष्ठ से आगे

इसी साल बंगाल और केरल में भी चुनाव होने हैं। बंगाल में लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद से भाजपा उत्साहित है और नड्डा के नेतृत्व से बड़ी अपेक्षा होगी जबकि केरल और तमिलनाडु में 2021 में पहला चुनाव एम करुणानिधि और जे जयललिता की गैर मौजूदगी में होगा। ऐसे में नड्डा की रणनीति अहम होगी। वैसे नड्डा की सांगठनिक क्षमता से सभी वाकिफ हैं। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में मंत्री बनने के बावजूद शाह उनसे सांगठनिक कार्य लेते रहे थे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, नड्डा के गृह प्रदेश हिमाचल प्रदेश समेत लगभग पूरे उत्तर पूर्व में भी इनके कार्यकाल में ही चुनाव होंगे। ऐसे में अपने राज्यों को संभालते हुए पंजाब, बंगाल जैसे राज्यों में सत्ता हासिल करना बड़ी चुनौती होगी। गौरतलब है कि भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह कई बार कह चुके हैं कि अभी भाजपा का स्वर्णिम काल नहीं आया है। नड्डा कर्नाटक से दक्षिण यानी केरल और तमिलनाडु और बंगाल में अगर भाजपा का केसरिया फहराने में कामयाब हुए तो पार्टी इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगा। फिलहाल यह सच है कि उन्हें बार-बार अमित शाह की खींची गई लंबी लकीर से जूझना होगा। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राजनाथ सिंह तक ने शाह की सफलता का उल्लेख किया वह इसका साफ संकेत है।

ब्रह्मोस से लैस सुखोई-30एमकेआइ तंजावुर एयरबेस में तैनात

▸ दक्षिण भारत के किसी सैन्य बेस पर इसकी यह पहली तैनाती

▸ ये युद्धक विमान एक घंटे में 2450 किमी तक पहुंच जाते हैं

तंजावुर (तमिलनाडु), एएनआइ : दक्षिण भारत के तंजावुर एयरबेस में पहले सुखोई 30-एमकेआइ युद्धक विमान को वायुसेना में शामिल किया गया है। यह विमान ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस है। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत और वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने तमिलनाडु के तंजावुर एयरबेस पर लड़ाकू विमान सुखोई 30-एमकेआइ को स्क्वॉड्रन में शामिल किया। दक्षिण भारत के किसी सैन्य बेस पर सुखोई-30 की यह पहली तैनाती है। इंडक्शन के मौके पर विमान को वॉटर सैल्यूट दिया गया। सुखोई विमानों के इस स्क्वॉड्रन को 'टाइगरशार्क्स' नाम दिया गया है। यह सुखोई का 12वां स्क्वॉड्रन है। इसके 11 अन्य स्क्वॉड्रन को चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर नजर रखने के लिए पहले ही तैनात किया जा चुका है।

एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने कहा कि अभी यह तय नहीं है कि युद्धक विमान कहां तैनात किया जाएगा। लंबी दूरी के खतरों को आंकते हुए वायुसेना इसे उत्तरी क्षेत्र में कहीं तैनात कर सकती है। इसे चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर तैनात किया जा सकता है। लेकिन इस बात पर फैसला खतरे के विश्लेषण और योजना की आवश्यकता के हिसाब से होगा। यह पूछे जाने पर क्या इससे वायुसेना को बालाकोट जैसे हमले करने में मदद मिलेगी? उन्होंने जवाब दिया कि इनका उपयोग होगा। यह निर्भर करता है कि हमें लक्ष्य क्या दिया जाता है।

तमिलनाडु के तंजावुर एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइल से लैस सुखोई-30 एमकेआइ स्क्वॉड्रन की तैनाती की गई है। सोमवार को सुखोई को वाटर सैल्यूट किया गया। प्रेट्र

300 किमी तक दाग सकता है मिसाइल : ये लड़ाकू विमान बमबारी के साथ मिसाइल भी दाग सकता है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल लोड की जा सकती है। यह एक बार ईंधन भरने पर 8000 किलो हथियारों के साथ 5200 किमी तक उड़ान भर सकता है। सुखोई-30 (एमकेआइ) एक घंटे में 2450 किमी तक पहुंच जाता है। इससे दागी मिसाइल 300 किमी पर सटीक निशाना लगा सकती है।

दक्षिण भारत की सुरक्षा होगी सुदृढ़ : दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों के बड़े भूखंड समुद्री तटीय इलाकों से सटे हैं। ये राज्य अरब सागर, हिंद महासागर व बंगाल की खाड़ी से सटे हैं। भारतीय समुद्रीय क्षेत्र में हमारे कई द्वीप भूखंड भी हैं। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी नौसेना के साथ वायुसेना के अधीनस्थ दक्षिणी कमांड के कंधों पर रहती है। तंजावुर एयरफोर्स स्टेशन पर सुखोई की स्क्वॉड्रन तैनात होने के बाद बंगाल की खाड़ी से लगते दक्षिणी-पूर्वी सीमा की सुरक्षा और पुख्ता हो जाएगी।

जनरल रावत बोले, पाक से युद्ध के हालात बनेंगे या नहीं कहना मुश्किल

तंजावुर, प्रेट्र : चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि यह भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध के हालात बन सकते हैं या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि लेकिन हमारी सभी सेनाएं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। सर्वोच्च जनरल बिपिन रावत ने सोमवार को कहा कि उनकी नई भूमिका में तीनों सशस्त्र सेनाओं की रक्षा प्रणाली को एकीकृत करना है। इसी कारण से सीडीएस का पद सृजित किया गया। इससे तीनों सेना में समन्वय बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि बेहतर एकीकरण और संयोजन की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। जनरल रावत विगत 30 दिसंबर को देश के पहले सीडीएस नियुक्त हुए थे।

बिपिन रावत फाइल

वाड्रा की जमानत रद करने की मांग पर सुनवाई टली

जासं, नई दिल्ली : विदेश में संदिग्ध संपत्ति के मामले में फंसे उद्यमी रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत को रद करने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई 11 फरवरी तक के लिए टाल दी। ईडी ने निचली अदालत द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को रद करने की मांग करते हुए वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत बताई है। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय ने वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा को दी गई अग्रिम जमानत को भी चुनौती दी है।

रॉबर्ट वाड्रा फाइल

एक अप्रैल 2019 को पटियाला हाउस के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने रॉबर्ट वाड्रा को पांच लाख रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दी थी। लंदन में एक फ्लैट को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने वाड्रा के करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा के खिलाफ केस दर्ज किया था। ईडी का आरोप है कि यह फ्लैट मनोज अरोड़ा के बजाय वाड्रा का है और यह हथियार डीलर संजय भंडारी से 2010 में खरीदा गया था।

सुप्रीम कोर्ट का चुनावी बांड पर अंतरिम रोक से इन्कार

▸ अदालत ने केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब

▸ काला धन सत्तारूढ़ दल को देने का गैर सरकारी संगठन ने लगाया आरोप

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए शुरू चुनावी बांड योजना पर अंतरिम रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। अदालत ने इस सिलसिले में दायर याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा। मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और सूर्यकांत की पीठ ने गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स के आवेदन पर केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग से दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर) की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि इस योजना का मकसद बगैर हिसाब-किताब वाला काला धन सत्तारूढ़ दल को देना है। उन्होंने इस योजना पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के एक दस्तावेज का भी हवाला दिया। इस पर पीठ ने कहा कि वह इसे देखेगा।

निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि ये सभी दलीलें पहले दी जा चुकी हैं। उन्होंने इस योजना के खिलाफ गैर सरकारी संगठन की याचिका पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा। गौरतलब है कि सरकार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान 10 दिन के लिए चुनावी बांड की बिक्री खोली है।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने दो जनवरी, 2018 को चुनावी बांड योजना की अधिसूचना जारी की थी। इस योजना के प्रावधानों के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक या प्रतिष्ठान चुनावी बांड खरीद सकता है। कोई व्यक्ति अकेले या किसी के साथ मिलकर चुनावी बांड खरीद सकता है।

बता दें कि चुनावी बांड प्राप्त करने की पात्रता सिर्फ उन्हीं राजनीतिक दलों को होगी, जो जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29-ए के तहत पंजीकृत हैं और जिन्हें पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कुल मतदान का एक फीसद से कम वोट नहीं मिला है। इसके लिए जारी अधिसूचना के अनुसार, राजनीतिक दल अधिकृत बैंक में खाते के माध्यम से ही इस चुनावी बांड को भुना सकेंगे।

सुनवाई

जस्टिस आरएफ नरिमन और एस. रवींद्र भट की खंडपीठ ने सोमवार को केंद्र को इस मामले में नोटिस भेजा और चार हफ्ते में उससे जवाब मांगा है

एनआइए संशोधन के खिलाफ याचिका सुनेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) संशोधन अधिनियम, 2019 को चुनौती देने वाली एक याचिका की सुनवाई करने पर सहमति जता दी है। याचिका में कहा गया है कि जांच एजेंसी एनआइए को प्रभावी करने वाले कानून में यह संशोधन करके केंद्र को निरंकुश विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई हैं।

जस्टिस आरएफ नरिमन और एस. रवींद्र भट की खंडपीठ ने सोमवार को केंद्र को इस मामले में नोटिस भेजा और चार हफ्ते में उससे जवाब मांगा है। 'सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट' संगठन की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि नए संशोधन से इसकी प्रकृति और अभियान को हल्का करने की कोशिश की गई है। इसमें आतंकवाद से असंबद्ध मुद्दों को जोड़कर राष्ट्रीय सुरक्षा के मकसद को कमजोर किया गया है। जबकि इसका गठन ही आतंकवाद की रोकथाम के लिए हुआ था। उल्लेखनीय है कि 15 जनवरी को कांग्रेस के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यूपीए-1 युग के एनआइए एक्ट में बदलाव को चुनौती दी है। राज्य सरकार ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि इससे राज्य की संप्रभुता प्रभावित होती है और केंद्र के निरंकुश शासन को बढ़ावा मिलता है। मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल में 2008 के मुंबई हमले के बाद एनआइए का पहली बार गठन किया था।

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

अधिवक्ता जैमोन एंड्रयूज की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह अधिनियम असंवैधानिक है। इसमें जांच और अभियोजन गतिविधियों को उन राज्य सरकारों को देखना होता था जहां यह अपराध हुआ हो। नए संशोधन में नए असंवैधानिक प्रावधान के जरिये निरंकुश शक्तियां केंद्र को मिल गई हैं। याचिका में दावा किया गया कि अब इसमें आतंकवाद के अलावा, बच्चों की तस्करी और उनके यौन उत्पीड़न को भी शामिल कर लिया गया है। इन संशोधनों से इस अधिनियम के दायरे को अत्यधिक बढ़ा दिया गया है। इसमें मानव तस्करी से लेकर यौन उत्पीड़न, नकली नोटों के कारोबार और बंधुआ मजदूरी भी शामिल कर ली गई है।

3101 करोड़ भुगतान के खिलाफ माल्या की याचिका से जस्टिस नरीमन ने बनाई दूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आरएफ नरीमन ने कर्नाटक हाई कोर्ट के एक निर्देश के खिलाफ भगोड़े उद्योगपति विजय माल्या की याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार को दूरी बना ली। हाई कोर्ट ने माल्या को बैंकों के एक कंसोर्टियम को 3101 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

जस्टिस नरीमन और जस्टिस एस. रवींद्र भट्ट की पीठ ने कहा कि माल्या ने अब तक बैंकों को एक पाई भी नहीं दिया है। हालांकि जस्टिस नरीमन ने मामले में सुनवाई से मना करते हुए इसे शीर्ष अदालत की अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किए जाने का निर्देश दिया। माल्या की ओर से वरिष्ठ वकील एस. गुरु कृष्णा कुमार ने शुरुआत में कहा कि उनके द्वारा दाखिल अन्य याचिकाएं एक अन्य पीठ के समक्ष विचारार्थ आ रही हैं। पीठ ने अपने आदेश में कहा, 'मामले को ऐसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए जिसमें हममें से एक (जस्टिस आर एफ नरीमन) सदस्य नहीं हों।'

माल्या ने कर्नाटक हाई कोर्ट के पांच अक्टूबर 2018 और 13 सितंबर 2019 के आदेशों को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी थी। आदेशों में कर्ज वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (डीआरएटी), बेंलगोर के फैसले को कायम रखा गया था जिसमें ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के एक आदेश के खिलाफ उनकी अपील पर सुनवाई के लिए पूर्व शर्त के रूप में 3101 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा गया था।

कह के रहेंगे माधव जोशी